भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3769

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: एसकेएम की मांगें

3769. श्री राजा राम सिंहः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र सरकार द्वारा एसकेएम को दिनांक 9/12/2021 को लिखे पत्र में रखे गए समझौते, जिसमें वह एसकेएम द्वारा रखी गई पांच मांगों पर सहमत हुई थी, की स्थिति क्या है;

(ख) दिनांक 9/12/2021 के पत्र के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा रखे गए समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है और पत्र के अंतर्गत प्रस्तावित समिति के गठन का ब्यौरा क्या है और एमएसपी को वैध बनाने के संबंध में समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या एसकेएम प्रस्तावित समिति का हिस्सा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) किसान आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले वापस लेने के सम्बंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और किसान आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अभी भी दर्ज मामलों को वापस लेने के संबंध में राज्यवार सूची क्या है; और

(ङ) समझौते के अनुसार अपने दायरे में आने वाले दर्ज मामलों को वापस लेने के संबंध में सरकार की स्थिति क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों, मांगों और सुझावों पर उचित कार्रवाई करने हेतु विचार करती है। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से प्राप्त मांग पत्र के संदर्भ में, सरकार ने दिनांक 12.7.2022 को एक समिति गठित की जिनमे हितधारकों को भी सम्मिलित किया गया है।

सरकार द्वारा कृषि को सतत और अधिक लाभदायक पेशा बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत सुधार, विकासात्मक कार्यक्रम और योजनाएँ शुरू की गई हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि करना शामिल है, जिससे उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ मार्जिन सुनिश्चित हो सके।

सरकार, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मतों पर विचार करने के बाद, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिसूचित कृषि फसलों के लिए एमएसपी तय करती है।

एमएसपी को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 12 जुलाई 2022 को समिति का गठन भी किया गया है। समिति की विषय-वस्तु में शामिल हैं:

क. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

1. व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाकर देश के किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने के सुझाव।
2. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की व्यावहारिकता पर सुझाव और इसे और अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय।
3. देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना ताकि घरेलू और निर्यात अवसरों का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के माध्यम से उन्हें अधिक मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

ख. प्राकृतिक खेती

1. मूल्य श्रृंखला विकास, प्रोटोकॉल सत्यापन एवं भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अनुसंधान हेतु कार्यक्रमों एवं योजनाओं के सुझाव तथा प्रचार-प्रसार तथा किसान संगठनों की भागीदारी एवं योगदान के माध्यम से भारतीय प्राकृतिक कृषि प्रणाली के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार हेतु सहायता।
2. कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) एवं अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को ज्ञान केंद्र बनाने तथा विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्राकृतिक कृषि प्रणाली पाठ्यक्रम एवं कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु कार्यनीतियां सुझाना।
3. प्राकृतिक कृषि प्रक्रियाओं एवं उत्पादों के लिए किसान-हितैषी वैकल्पिक प्रमाणन प्रणाली एवं विपणन प्रणाली सुझाना।
4. प्राकृतिक कृषि की मूल्य श्रृंखला विकास को सुदृढ़ करने हेतु अंतर-राष्ट्रीय समन्वय हेतु विधियाँ एवं माध्यम सुझाना।
5. प्राकृतिक कृषि के माध्यम से उत्पादित उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण हेतु प्रयोगशालाओं की श्रृंखला।

ग. फसल विविधीकरण

1. उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों के मौजूदा फसल पैटर्न का मानचित्रण।
2. देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार फसल पैटर्न में परिवर्तन के लिए विविधीकरण नीति की कार्यनीति।
3. नई फसलों की बिक्री के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु कृषि विविधीकरण और प्रणाली की व्यवस्था।
4. सूक्ष्म सिंचाई योजना की समीक्षा और सुझाव।

समिति की 6 बैठकें हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न उप-समितियों की 39 बैठकें भी हो चुकी हैं।

(घ) और (ङ): राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में कानून-व्यवस्था बनाए रखती हैं और आपराधिक मामलों के पंजीकरण/उन्हें वापसी संबंधी निर्णय लेती हैं तथा ऐसे मामलों का रिकॉर्ड केवल उन्हीं के द्वारा रखा जाता है। ऐसे मामलों का विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

*****